आज दिनांक 16.11.2010 को **UFM Committee** की बैठक परीक्षा विभाग में सम्पन्न हुई । बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे :-

1. प्रो. एन. सी. शर्मा, अध्यक्ष, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल ।
2. डॉ. विजय शर्मा, कुलसचिव, म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल ।
3. डॉ. आभा स्वरुप, निदेशक (प्रवेश एवं मूल्यांकन), म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल ।
4. डॉ. प्रवीण जैन, निदेशक (विद्यार्थी सहायता), म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल ।
5. डॉ. डी. एस. सोलंकी, निदेशक (आई. टी.), म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल ।
6. डॉ. दीप्ती श्रीवास्तव, उपनिदेशक (प्रवेश एवं मूल्यांकन) म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल ।
7. डॉ. नीरजा चतुर्वेदी, उपनिदेशक (मुद्रण एवं वितरण) म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल ।

कलेक्टर जिला उज्जैन के पत्र कमांक शिकायत/2009/8005 दिनांक 23.10.09 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जिला उज्जैन की रिर्पोट दिनांक 22.10.09 प्राप्त हुई । उक्त रिर्पोट के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी जिला उज्जैन को इस आशय की जानकारी प्राप्त हुई कि विश्वविद्यालय के केन्द्र स्थानीय माधव वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय, उज्जैन में आयोजित परीक्षा DCA & PGDCA में अत्यधिक नकल हो रही है और छात्रों से पैसा लेकर नकल करवाई जा रही है । इस सूचना पर दिनांक 21.10.09 को स्थानीय माधव वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय, उज्जैन में दोपहर 2.30 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण पर यह पाया गया कि चैनल गेट को अनावश्यक रुप से ताला लगाकर बंद रखा गया, जिससे संदेहास्पद स्थिति का आभास होता है । ताला खुलवाकर जैसे ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश किया गया वैसे ही छात्रों ने नकल सामग्री हाल में यहाँ वहाँ फेंक दी । चार छात्रों से नकल सामग्री प्राप्त की गई, जिसके संबंध में केन्द्राध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित नही किया गया । उक्त विवरण से प्रतीत होता है कि केन्द्र में सामूहिक नकल हुई है । उक्त प्रकरण में सेडमेप के समन्वयक

16/11

N C Sharma

16/11/10

के पत्र कमांक/सेडमेप/सीता/10/518 दिनांक 15.11.10 के माध्यम से प्रभावित छात्रों के प्रतिवेदन प्राप्त हुये। समिति ने इन प्रत्यावेदनों का अध्ययन किया, इनमें यह कथन है कि जिन छात्रों ने नकल की थी उनके प्रकरण बनाये गये थे, परंतु केन्द्र से इस परीक्षा का कोई भी नकल प्रकरण प्राप्त नही हुआ है । अतः इनके प्रत्यावेदन विश्वसनीय प्रतीत नही होते है । साथ ही संबंधित परीक्षा केन्द्र अधीक्षक के द्वारा नकल संबंधी कोई भी दस्तावेज विश्वविद्यालय नही भेजे जाने पर परीक्षा केन्द्र अधीक्षक की स्थिति भी संदेहास्पद प्रतीत होती है । परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा बरती गई लापरवाही एवं गैर उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने के लिये उचित कार्यवाही हेतु म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को लिखा जाये ।

अनुविभागीय अधिकारी जिला उज्जैन की रिर्पोट को जो कलेक्टर जिला उज्जैन के माध्यम से प्राप्त हुई है, उसमें सामूहिक नकल का प्रकरण स्पष्ट प्रतीत होता है । अतः विषय की गंभीरता को देखते हुये एवं परीक्षा की सुचिता और पारदर्शिता बनाये रखने के लिये समिति सर्वसम्मति से यह अनुशंसा करती है कि उक्त परीक्षा DCA & PGDCA के संबंधित छात्रों की संपूर्ण परीक्षा निरस्त की जाये । समिति की अनुशंसा है कि जो छात्र उक्त परीक्षा मे सम्मिलित नही हुये (अनुपस्थित छात्र) उन छात्रों पर यह निर्णय लागू नही होगा ।

N C Sharma

(डॉ. एन. सी. शर्मा)

(डॉ. विजय शर्मा)

16/11/10

(डॉ. आभा स्वरुप)

16/11

(डॉ. प्रवीण जैन)

(डॉ. डी. एस. सोलंकी)

(डॉ. दीप्ती श्रीवास्तव)

16/11/10

(डॉ. नीरजा चतुर्वेदी)